

10. क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological sensitive क्षेत्र : नहीं
(राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाडी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 कि.मी. के अंतर्गत हैं अथवा नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।
11. आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र : नहीं
विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है, अथवा नहीं (विशेष कर खनिज)
उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आस-पास के 10 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावे एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे)
12. आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का : नहीं
उल्लंघन किया गया है, या नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण दें।

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांगी गई वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुषंसा की जाती/नहीं की जाती है।

दिनांक :- 6/2/2017

वन मंडलाधिकारी
सामान्य वन मंडल, महासमुन्द

वन संरक्षक/व.म.अ. के हस्ताक्षर

.....वृत्तवनमंडल

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1. परियोजना का नाम : 220 के०व्ही० उपकेन्द्र परसवानी से 132/25 के० व्ही० रेलवे कर्षण उपकेन्द्र महासमुन्द तक प्रस्तावित 132 के०व्ही० लाईन निर्माण हेतु।
2. आवेदन/आवेदन विभाग का नाम : कार्यपालन अभियंता, अति उच्च दाब निर्माण संभाग छ०रा०वि०पारे०क०मर्या०रायपुर० छ०ग०
3. गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग : 2.37 हे. ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु
4. आवेदित क्षेत्र की स्थिति : जिला वन मंडल परियोजना स्थल
ग्राम चोरभट्टी
महासमुन्द सामान्य (महासमुन्द)
महासमुन्द
5. वन भूमि का विस्तृत विवरण : वनखंड कक्ष क्र. आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल
चोरभट्टी 67 / 2.37 हे.

क. आरक्षित वन : 2.37 हे०

ख. संरक्षित वन : —

योग :- 2.37 हे.

6. आवेदित वन क्षेत्रों में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार : नहीं।
7. आवेदित क्षेत्र के वृक्षों का विवरण : नहीं।
8. आवेदित वन क्षेत्र में वृक्षों का विवरण : नहीं।
9. आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) : नहीं
मुख्य मार्ग से पी.डब्ल्यू.डी./वन मार्ग आदि से दूरी
(जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें